"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2017—अग्रहायण 3, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अनिता भास्कर ध.प. श्री अवधराम भास्कर उम्र 56 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी-कुम्हारपारा, जरहाभाठा, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर, (छ.ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम पंचकुमारी भास्कर था तथा यही नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती अनिता भास्कर रख ली हूं तथा यह परिवर्तित नया नाम मेरे आधार कार्ड में दर्ज है इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती अनिता भास्कर ध.प. श्री अवधराम भास्कर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती पंचकुमारी भास्कर पति-श्री अवधराम भास्कर निवासी-कुम्हारपारा, जरहाभाठा, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	श्रीमती अनिता भास्कर पति-श्री अवधराम भास्कर निवासी-कुम्हारपारा, जरहाभाठा, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, किशन लाल वर्मा आत्मज स्व. बिरझू राम वर्मा, उम्र 55 वर्ष, निवासी-बैगाटोला, पोस्ट-ईटार, थाना-गातापार, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम किशन लाल वर्मा दर्ज है जो सही है किन्तु मेरे बैंक पासबुक व लाईफ इंश्यूरेंस पॉलिसी के दस्तावेजों में मेरा घरेलू नाम रामकिशन वर्मा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम किशन लाल वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे किशन लाल वर्मा आ. स्व. बिरझू राम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रामकिशन वर्मा
पिता-स्व. बिरझू राम वर्मा
निवासी-बैगाटोला, पोस्ट-ईटार, थाना-गातापार,
तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

नया नाम

किशन लाल वर्मा
पिता-स्व. बिरझू राम वर्मा
निवासी-बैगाटोला, पोस्ट-ईटार, थाना-गातापार,
तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मोक्षदा महाजन ध.प. श्री मनोज महाजन, उम्र 45 वर्ष, निवासी-130/के, सॉई कृपा, सुभाष नगर, वार्ड नं.-42, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. वंदना मुजुमदार आत्मजा श्री विश्वनाथ मुजुमदार था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 20-02-2000 को श्री मनोज महाजन के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती मोक्षदा महाजन रख ली हूं तथा यही नाम मेरे बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि अन्य शासकीय तथा अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में दर्ज है. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती मोक्षदा महाजन ध.प. श्री मनोज महाजन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. वंदना मुजुमदार
पिता-श्री विश्वनाथ मुजुमदार
निवासी-130/के, सॉई कृपा सुभाष नगर, वार्ड नं.-42,
दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

श्रीमती मोक्षदा महाजन
पति-श्री मनोज महाजन
निवासी-130/के, सॉई कृपा सुभाष नगर, वार्ड नं.-42,
दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अनुजा टोपे ध.प. स्व. अजय टोपे, उम्र 50 वर्ष, निवासी-म.नं.-44/1 (6), क्रास स्ट्रीट-2, मैत्री कुंज रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मैं सिन्धु शिशु मन्दिर (सिन्धुड़ी सेवा समिति) में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूं. पूर्व में मेरा नाम कु. संजीवनी मुजुमदार था तथा यही नाम मेरे सर्विस रिकार्ड में व मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 28-05-1991 को श्री अजय टोपे के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती अनुजा टोपे रख ली हूं तथा यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता परिचय पत्र आदि में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती अनुजा टोपे ध.प. स्व. श्री अजय टोपे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. संजीवनी मुजुमदार
पिता-श्री विश्वनाथ मुजुमदार
निवासी-म. नं.-44/1 (6), क्रास स्ट्रीट-2
मैत्री कुंज, रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

श्रीमती अनुजा टोपे
पति-स्व. अजय टोपे
निवासी-म. नं.-44/1 (6), क्रास स्ट्रीट-2
मैत्री कुंज, रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धन्नालाल सोनटेके आत्मज स्व. हुकुम चन्द सोनटेके, उम्र 57 वर्ष, निवासी-क्वा नं.-168-डी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं, मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आदि में मेरा पूर्ण नाम धन्नालाल सोनटेके दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम धन्नालाल दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम धन्नालाल सोनटेके रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे धन्नालाल सोनटेके आ. स्व. हुकुम चन्द सोनटेके के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

धन्ना लाल
पिता-स्व. हुकुम चन्द सोनटेके
निवासी-क्वा. नं.-168-डी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

धन्ना लाल सोनटेके
पिता-स्व. हुकुम चन्द सोनटेके
निवासी-क्वा. नं.-168-डी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राकेश कुमार बागरेचा आत्मज श्री विजय लाल बागरेचा, उम्र 34 वर्ष, निवासी-कल्प रेखा, माता गैरेज के पास, पंचवटी सोसायटी, पंडरी, शंकर नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, परिचय पत्र में मेरा वास्तविक व सही नाम राकेश कुमार बागरेचा आ. श्री विजय लाल बागरेचा दर्ज है, किन्तु मेरे पेन कार्ड व कुछ आवश्यक दस्तोवजों/अभिलेखों में मेरा नाम राकेश कुमार जैन दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम राकेश कुमार बागरेचा रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राकेश कुमार बागरेचा आ. श्री विजय लाल बागरेचा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राकेश कुमार जैन पिता-श्री विजय लाल जैन निवासी-कल्प रेखा, माता गैरेज के पास, पंचवटी सोसायटी, पंडरी, शंकर नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)	राकेश कुमार बागरेचा पिता-श्री विजय लाल बागरेचा निवासी-कल्प रेखा, माता गैरेज के पास, पंचवटी सोसायटी, पंडरी, शंकर नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेषनारायण मढ़रिया आत्मज श्री रूपसिंह मढ़रिया, उम्र 48 वर्ष, निवासी-क्वा.नं.-268-सी, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड में मेरा सही नाम शेषनारायण मढ़रिया दर्ज है किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम शेषनारायण वर्मा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम शेषनारायण मढ़रिया रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शेषनारायण मढ़रिया आ. रूपसिंह मढ़रिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
शेषनारायण वर्मा पिता-रूपसिंह मढ़रिया निवासी-क्वा नं.-268-सी, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)	शेषनारायण मढ़रिया पिता-रूपसिंह मढ़रिया निवासी-क्वा नं.-268-सी, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

OFFICE OF THE DIRECTOR
GOVT. PRINTING AND STATIONERY, DEPARTMENT
Indravati Bhawan, Block 1, Second Floor, New Riapur

TENDER NOTICE

CORRIGENDUM

New Raipur dated 20th November 2017

No. GB-2/Printing/(45)/2017-18/1003.— With reference to the letter no G.B/2/printing (45)/2017-18/945 dated 02-11-2017 the Tender Notice and Tender Form for RATE CONTRACT ALL TYPE OF PRINTABLE MEDIA/ ALL TYPE OF PRINTING, PREPRESS AND POSTPRESS REQUIREMENTS FOR THE YEAR, 2017-18 has been published in various news papers and uploaded on the website WWW.cg.govt.in.recently, due to oversightness the rate of Tender is mentioned Rs. 5000/- instead of Rs. 1000/- in page no. 7/2 (a).

2. In page no. 2 "Lab testing charges@Rs. 5000/- per sample in the form of DD or FD is added in the end of serial no. (1).

3. In same page no. 2 serial no. 9 and 10 is added as
   (9) Proof of turnover.
   (10) Ownership document of machines and press premises.

4. In page no. 5 line thirteen the sentence "under one roof " is deleted. and the line "inclusive of .... to be produced" is replaced by "exclusive of GST".

5. In page no. 6 (5th line. in machine requirement) 4 color web machine cutoff 578 mm is added and in same paragraph in line 5 after one two color sheet fed offset machine "and" is replaced with "or".

6. In page no 8 at the end of serial no. (m) along with testing fees@ Rs 5000/- per sample in the form of DD of FD is added also serial no. 4 will be mentioned after serial no. 3 near the line (The tender shall be .... sign of the firm), and in page no. 9 serial no 4 should be read as serial no. 5.

7. In page no. 9 "Lab testing charges@Rs 5000/- per sample in the form of DD or FD is added in the end of serial no. (1). In serial no. 5 the line "In case of .... with bidder" and serial no. 6 and 7 is deleted and the line "CA certified ....turnover" will be serial no. 6, and no 7 will be "In case of offer for printing, binding, pre press and post press services offer, bidder must also enclose proof of ownership of prepressess and postpresses.

   Prepress : Atleast one 4 color web offset machine cutoff 578 mm. one single color sheet fed or two color sheet fed (min. size 23"×36") and one four color sheet fed machine size 19"×25".

   Post press : Different machine such as processing. center pinning, folding, perfect binding min. 6 clamps, cutting, punching machine etc".

8. In page no. 9 in Envelop-B instead of the sentence "sample for .... envelop-B" it will be "Paper samples to be submitted in envelop B minimum A-3 size, 10 sheet of each sample in following categories should be submitted :—

Cream wove as per BIS 1848:2007 with latest amendment.
Maplitho as per BIS 1848:2007 with latest amendment. Minimum brightness 82%.
Art paper as per BIS 4658:2010 with latest amendment

The sample submitted in envelop-B will be sent to government laboratory for technical evaluation. Financial bid of only successful bidder in technical evaluation will opened."

9. From page no 62 to 78 above 130 GSM Maplitho paper is eliminated.

Note :— It can also be downloaded from website www.cgstate.gov.in.

Sd/-

Director,
Printing and Stationery.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास कोरबा जिला कोरबा छ.ग.

कोरबा, दिनांक 31 अक्टूबर 2017

रा.प्र.क्र. 01/ब-113/2017-2018
ग्राम-कोरबा, प.ह.नं.-09
तहसील व जिला-कोरबा, छ.ग.

क्रमांक 3986/अ.वि.अ./वा.-1/2017.—आवेदक अध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश उर्फ धरम दास चेला सद्गुरू स्वामी सर्वानंद जी महाराज अमरापुर स्थान एम.आई. रोड जयपुर (राजस्थान), सचिव संत हरि ओम चेला सद्गुरू स्वामी टेंउराम जी महाराज, श्री प्रेम प्रकाश आश्रम गाड़वे की गोठ, लश्कर ग्वालियर, कोषाध्यक्ष व मेनेजिंग ट्रस्टी डॉ. गोपीचंद मोटवानी पुत्र टी.एम. मोटवानी आहूजा मार्केट, बढ़ार रोड शहडोल के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत श्री प्रेम प्रकाश आश्रम चेरीटेबल ट्रस्ट कोरबा का पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 29-11-2017 को विचार किया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति श्री प्रेम प्रकाश आश्रम चेरीटेबल ट्रस्ट कोरबा के संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो इस ईश्तहार/सूचना से लोग न्यास एवं उसकी गठन पर आपत्ति रखता हो तो अपना पक्ष रख सकता है.

मैं नेपाल सिंह नैरोजी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा प्रेम प्रकाश आश्रम चेरीटेबल ट्रस्ट कोरबा का लोक न्यासों की पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29-11-2017 को उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 01 द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपित्त या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	आवेदक के नाम पर ग्राम-कोरबा, प.ह.नं.-9, रा.नि.मं. तथा कोरबा में स्थित भूमि ख. नं. 1031/7 रकबा 0.020 हे. भूमि है जिसकी कीमत 13,20,000/- रुपये.
(2)	चल संपत्ति	:	नगद राशि 5,507/- जमा है.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

नेपाल सिंह नैरोजी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.